उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-43/2015-एस0ई0-4-2899/दस-2015-ई0एम0-24/04
लखनऊ : दिनांक : 16 नवम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2015-2016 हेतु एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा स्थापित वित्त विभाग के डाटा सेण्टर के कर्मचारियों के वेतन/ऑपरेशनल कॉस्ट के भुगतान एवं साफ्टवेयर/हार्डवेयर के अपग्रेडेशन आदि के संबंध में एन0आई0सी0 के पत्र संख्या-यू0पी0फाइन/09-2015/1/एन0आई0सी0/633, दिनांक 18-09-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0आई0सी0 के नियंत्रण/निर्देशन में साफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपरेशन हेतु आउटसोर्स करके 01 सीनियर प्रोग्रामर, 01 प्रोग्रामर, 03 असिस्टेन्ट प्रोग्रामर, तथा 01 डाटा इन्ट्री आपरेटर लिए मांगी गई धनराशि रू0 32,50,440/-के सापेक्ष प्रथम चरण हेतु विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत अनुदान संख्या-65 के लेखा शीर्ष-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-वित्त विभाग के अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण" के अन्तर्गत प्रावधानित (आय-व्ययक) की धनराशि रू0 21.00 लाख (रूपये इक्कीस लाख मात्र) के सापेक्ष वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-37/2015-ई0एस0-4-1252/दस-2015-ई0एम0-24/04, दिनांक 14-05-2015 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-42/2015-ई0एस0-4-2899/दस-2015-ई0एम0-24/04, दिनांक 16-11-2015 के अनुसार मानक मद संख्या-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवायें के लिए भुगतान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 11,00 लाख में से रू0 10,80,771/-(रूपये दस लाख अस्सी हजार सात सौ इकहत्तर मात्र) की अग्रिम वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 10,80,771/-(रूपये दस लाख अस्सी हजार सात सौ इकहत्तर मात्र) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4(लेखा) द्वारा ऑन लाईन करते हुए National Informatics Centre Services Incorporated के कारपोरेशन बैंक, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 अथवा एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक ब्रांच कोड-CORP000371, खाता संख्या-037100101010516 में ऑन लाईन भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2016 तक कर लिया जायेगा। अग्रिम आहरण विषयक वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुपालन किया जायेगा।

4- उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोनेत्तर-090-सचिवालय-03-वित्त विभाग के अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

बी0के0 सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-43/2015-एस0ई0-4-2899(1)/दस-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा) दो प्रतियों में।
(4) श्री जी0पी0 सिंह, एस0टी0डी0/ए0एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त भुगतान की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराये तथा धनराशि का यथासमय उपभोग प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(5) श्री अरविन्द मिश्र, प्रभारी, एन0आई0सी0 (निकनेट सेल)।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।